प्रेषक,

यशवंत कुमार सरोज,
अपर जनपद न्यायाधीश,
जनपद ललितपुर।

सेवा में,

श्रीमान महानिबंधक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

श्रीमान जनपद न्यायाधीश,
जनपद ललितपुर।

विषय – माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक संख्या 12853/IV-3909/Admin.(A) दिनांक 23-09-2024 के अनुपालन में पूर्व सेवा को वर्तमान सेवाकाल में जोड़े जाने के संबंध में नवीन अभ्यावेदन ।

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि मेरे द्वारा दिनांक 31-07-2024 को पूर्व सेवाकाल को वर्तमान सेवाकाल में जोड़े जाने के संबंध में अभ्यावेदन दिया गया था। उपरोक्त विषयांकित पत्र में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्देशित किया गया है उक्त पत्र के साथ संलग्न प्रोफार्मा में अंकित विशेष सूचनाओं का अंकन करते हुये नवीन अभ्यावेदन पूर्व सेवाकाल को वर्तमान सेवाकाल में जोड़े जाने की प्रार्थना करते हुये एवं भरे हुये व हस्ताक्षरित संलग्न प्रोफार्मा सहित प्रेषित किया जाये।

माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में ससम्मान अवगत कराना है कि मैं वर्तमान में अपर जनपद न्यायाधीश / सचिव के पद पर जनपद ललितपुर मे कार्यरत हूं। पी०सी०एस०(जे०) 2006 परीक्षा मे अंतिम चयन उपरान्त निर्गत शासकीय विज्ञप्ति नियुक्ति संख्या - 4541/II-4-09-32(1)/2008 दिनांक 09-02-2010 द्वारा मेरी नियुक्ति सिविल जज (जू०डि०) के पद पर हुयी। माननीय उच्च न्यायालय के नोटिफिकेशन संख्या 145/AR(S)/2010 दिनांक 11-03-2010 द्वारा मुझे सिविल जज (जू०डि०), लखनऊ के पद पर नियुक्त किया गया तथा कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त आदेश के अनुपालन मे दिनांक 17-04-2010 को मेरे द्वारा जनपद लखनऊ मे सिविल जज (जू०डि०) के पद का कार्यभार ग्रहण किया गया। उक्त सेवा में नियुक्ति प्राधिकारी उत्तर प्रदेश सरकार है। सेवानिवृत्ति का दिनांक 31-03-2039 है।

इस सेवा के पूर्व मैं लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य / प्रवर अधीनस्थ सेवा (विशेष चयन) परीक्षा 2004 में उपनिबंधक पद पर चयनित हुआ था। महानिरीक्षक निबन्धन उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के नियुक्ति आदेश संख्या 1091/तीनए-425(अधि०-2004)/08 दिनांक 10-07-2008 के अनुपालन मे मैंने दिनांक 16-07-2008 को जनपद रायबरेली मे पदभार ग्रहण किया। जहां से विभागीय प्रशिक्षण प्राप्त कर महानिरीक्षक निबन्धन उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के आदेश संख्या 1950(1-6)/तीनए-425/08 दिनांक 04-09-2008 के द्वारा उपनिबंधक शाहाबाद, जनपद हरदोई के पद पर नियुक्त होने पर 10-09-2008 को उपनिबंधक शाहाबाद, जनपद हरदोई के पद का कार्यभार ग्रहण किया। उक्त सेवा में मेरा विभाग / कार्यालय महानिरीक्षक निबन्धन उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद था, जिनके नियंत्रणाधीन मैंने पूर्व

सेवा में कार्य किया। उक्त सेवा में रोजगार की प्रकृति स्थायी थी। उक्त पूर्व सेवा में मैंने उत्तर प्रदेश सरकार के अन्तर्गत सेवा की। पी०सी०एस०(जे०) 2006 परीक्षा में चयन उपरान्त मेरे द्वारा दिनांक 18-03-2010 को महानिरीक्षक निबन्धन उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को पत्र प्रेषित कर स्वयं को उपनिबंधक शाहाबाद, हरदोई के पद से कार्यमुक्त (रिलीव) किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। तत्पश्चात कार्यालय महानिरीक्षक निबन्धन उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के आदेश संख्या - 1742(1-9)/तीन ए-425(मु०) दिनांक 13-04-2010 द्वारा कार्यभार छोड़ने की तिथि से कार्यमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की गयी। उक्त आदेश के अनुपालन मे दिनांक 16-04-2010 को मेरे द्वारा उपनिबंधक शाहाबाद, हरदोई का कार्यभार छोड़ दिया गया। मेरी पूर्व सेवा नवीन पेंशन योजना के अन्तर्गत थी।

उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश संख्या 14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 11 जुलाई, 2024 के अनुक्रम मे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुने जाने के संबंध में शासनादेश निर्गत किये गये है। उक्त शासनादेशों के अन्तर्गत मैं पूर्व सेवा के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनने पर पुरानी पेंशन योजना के अन्तर्गत आच्छादित हो रहा हूँ तथा पूर्व सेवाकाल के वर्तमान सेवाकाल में जुड़ने पर वर्तमान सेवा मे भी पुरानी पेंशन योजना के अन्तर्गत आच्छदित हो सकूँगा। मेरा चयन लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य / प्रवर अधीनस्थ सेवा (विशेष चयन) परीक्षा 2004 मे उपनिबंधक पद पर हुआ था, जिसकी विज्ञापन तिथि 15 मई, 2004 थी। शासनादेश संख्या 14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 (संलग्न) के प्रस्तर 4 में वर्णित प्रावधान तथा शासनादेश संख्या-20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 11 जुलाई, 2024 (संलग्न) के प्रस्तर 1, 2 व 3 में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदक पुरानी पेंशन योजना के विकल्प को चुनने संबंधी अर्हता को पूर्ण करता है। उपरोक्त शासनादेशों तथा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्रांक संख्या 10219/IV-F-82(Pension)/Admin.(A) दिनांकित 29-07-2024 के अनुपालन में मेरे द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुने जाने के संबंध में पूर्व सेवा के विभागाध्यक्ष महानिरीक्षक निबंधन उत्तर प्रदेश (शिविर कार्यालय, लखनऊ) को पत्र मय विकल्प पत्र प्रेषित किया गया है।

अतः ससम्मान विनम्र निवेदन है कि सेवानैवृत्तिक लाभों के लिये मेरे पूर्व सेवाकाल की अवधि को वर्तमान सेवाकाल से जोड़े जाने हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन माननीय न्यायालय के समक्ष सादर रखने की कृपा करें।

सादर,

दिनांक : 26-09-2024

भवदीय

Yashwant Kumar Saroj
26/9/24

(यशवंत कुमार सरोज)
अपर जनपद न्यायाधीश,
ललितपुर।
आई.डी. संख्या - यू.पी.1870

संलग्नक : (1). माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक संख्या 12853/IV-3909/Admin.(A) दिनांक 23-09-2024 के साथ संलग्न भरे हुये व हस्ताक्षरित प्रोफार्मा की प्रति।

(2). शासकीय विज्ञप्ति नियुक्ति संख्या - 4541/II-4-09-32(1)/2008 दिनांक 09-02-2010 की छायाप्रति।

(3). माननीय उच्च न्यायालय के नोटिफिकेशन संख्या 145/AR(S)/2010 दिनांक 11-03-2010 की छायाप्रति।

(4). महानिरीक्षक निबन्धन उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के नियुक्ति आदेश संख्या 1091/तीनए-425(अधि०-2004)/08 दिनांक 10-07-2008 की छायाप्रति।

(5). महानिरीक्षक निबन्धन उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के आदेश संख्या 1950(1-6)/तीनए-425/08 दिनांक 04-09-2008 की छायाप्रति।

(6). महानिरीक्षक निबन्धन उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के आदेश संख्या - 1742(1-9)/तीन ए 425(मु०) दिनांक 13-04-2010 की छायाप्रति।

(7). कार्यालय सहायक महानिरीक्षक निबन्धन हरदोई के पत्र संख्या - 82(1-7)/सी०आर०सी० हरदोई/2010 दिनांक 16-04-2010 की छायाप्रति।

(8). रिलीव होने संबंधी प्रभार प्रमाण पत्र दिनांकित 16-04-2010 की छायाप्रति।

(9). सम्मिलित राज्य / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा (विशेष चयन 2004) का विज्ञापन की छायाप्रति।

(10). शासनादेश संख्या 14/2024/सा-3-243/ दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 की छायाप्रति।

(11). शासनादेश संख्या-20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 11 जुलाई, 2024 की छायाप्रति।

(12). माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्रांक संख्या 10219/IV-F-82(Pension)/ Admin.(A) दिनांकित 29-07-2024 की छायाप्रति।

Consolidated Details with respect to Counting of previous service

Name of the Officer	Yashwant Kumar Saroj
Designation in U.P. Nyayik Sewa/U.P.H.J.S.	Additional District Judge
Date of Joining in U.P. Nyayik Sewa/U.P.H.J.S.	17-04-2010
Appointing Authority	U.P. Government
Date of retirement on superannuation	31-03-2039
Details of previous service	
Designation/Post held in previous service	Sub Registrar
Department/Office under which previous service was rendered	Inspector General of Registration U.P.
Date of joining in previous service	On Date 16-07-2008 I had Joined the service at Raebareli. After Completion of Departmental Training at Raebareli I had taken the charge of Sub Registrar Sahabad, Hardoi on 10-09-2008.
Nature of employment in previous service (Temporary/Permanent)	Permanent
Government under which previous service was rendered (Central/State)	U.P. Government
Date of relieving in previous service	16-04-2010
Whether previous service rendered was under Old Pension Scheme or New Pension Scheme	New Pension Scheme
Mention relevant Government Order(s) vide which past service benefits is claimed as well as particular provision of the Government Orders, applicable in his/her case (annex copy of G.O.s).	G.O. No.14/2024/Sa-3-243/X-2024/301(1)/2024 Dated 28.06.2024 of the Government of the U.P. (particular provision of this G.O. is mention in Para No. 4) and G.O. No. 20/2024/Sa-3-276/X-2024/301(1)/2024 Dated 11.07.2024 of the Government of the U.P. (particular provision of this G.O. is mention in Para No. 1, 2 and 3) by which past service benefit is claimed by the applicant.
Remark(s), if any	

Date - 26-09-2024

Yashwant Kumar Saroj
26/9/24

Yashwant Kumar Saroj
Additional District Judge
Lalitpur.
ID No. - UP1870

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग–4
संख्या–4541/दो–4–09–32(1)/2008
लखनऊ: दिनांक 09 फरवरी, 2010

विज्ञप्ति/नियुक्ति

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में सीधी भर्ती हेतु आयोजित प्रतियोगितात्मक परीक्षा, 2006 के आधार पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को वेतनमान रू0 9000–250–10750–300–13150–350–14550 में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर चरित्र एवं पूर्व वृत्त संतोषजनक पाये जाने एवं पूर्व में जारी विज्ञप्ति/नियुक्ति संख्या–752/दो–4–2009–32 (1)/2008 दिनांक 24.3.09, संख्या–1247/दो–4–2009–32(1)/2008 दिनांक 01.4.09,संख्या–1539/दो–4–2009–32 (1)/08 दिनांक 22.4.09 संख्या–1653/दो–4–2009–32 (1)/ 08 दिनांक 8.5.09 संख्या–2057/दो–4–09–32 (1)/08 दिनांक 21.5.09,संख्या– 2206/दो–4–2009–32(1)/2008 दिनांक 2.6.09, संख्या–2167/दो–4– 2009–32 (1) /2008 दिनांक 10.6.09, संख्या–2319/दो–4–2009–32(1)/ 2008 दिनांक 12.6.09, संख्या–2417 / दो–4–2009–32(1)/2008 दिनांक 23.6.09,संख्या–2974/दो–4–2009 –32(1)/ 2008 दिनांक–7.8.09 संख्या–3205/दो–4–2009–32(1)/2008 दिनांक 20.8.09, संख्या–3414/दो–4–2009–32(1)/2008 दिनांक 8.9.09 संख्या–3574/ दो–4–2009 –32 (1)/2008, दिनांक 11.11.09, संख्या–4305/दो–4– 2009–3(1)/2008 दिनांक 16.12.09 एवं पत्र संख्या– 4541/दो–4–09–32(1)/08 दिनांक 5.1.2010 के अनुक्रम में निम्नलिखित 04 अभ्यर्थीयों की नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या–1347(एम/बी)/09 अविनाश चन्द्र बनाम लोक सेवा आयोग व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम/पिता का नाम	पत्र व्यवहार का पता
1–	श्री विराट शिरोमणि आ0 श्री संजीव शिरोमणि	म.न.–सी–167 सेक्टर सी. महानगर, लखनऊ पिन कोड–226006
2–	श्री यशवन्त कुमार सरोज आ0 श्री जंग बहादुर सरोज	ग्राम–भचकाही,पो0–डभरुआ जिला– जौनपुर
3–	श्री योगेन्द्र प्रताप सिंह आ0 श्री राघव प्रसाद सिंह	म.न.–305 वार्ड नं0–16 न्यू कालोनी शहर देवरिया, जिला देवरिया
4–	श्री विजय कुमार आ0 श्री केदार नाथ	निवासी–ग्राम बाल खुर्द (महुआबारी) पो0–चौरीचौरा जिला–गोरखपुर

2– उपरोक्त अभ्यर्थियों की तैनाती के आदेश अलग से मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निर्गत किये जायेगें।

राज्यपाल की आज्ञा से,
(हस्ताक्षर)
(कुँवर फतेह बहादुर)
प्रमुख सचिव।

संख्या–4541(1)/दो–4–09–32(1)/2008,तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निदेशक मुद्रण तथा लेखन सामग्री, उ0प्र0 इलाहाबाद को उ0प्र0 गजट के आगामी हिन्दी तथा उर्दू अंक में प्रकाशनार्थ।

2– सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या–68/14/ई–2/2007–08 दिनांक 18.12.08 एवं संख्या–200/14/ई–2/2007–08, दिनांक–17.6.09 के संदर्भ में।

3– अपर निदेशक कोषागार, निदेशालय उ0प्र0 शिविर कार्यालय कचहरी रोड,इलाहाबाद

4– अपर निदेशक, न्यायिक प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, उ0प्र0 गोमती नगर लखनऊ।

5– प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उ0प्र0, शासन लखनऊ।

पंजीकृत

6– सम्बन्धित अभ्यर्थियों को इस निर्देश सहित प्रेषित कि उनकी यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है एवं अपनी तैनाती के सम्बन्ध में महानिबंधक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से तत्काल सम्पर्क स्थापित कर उनके द्वारा निर्गत किये जाने वाले आदेशों के अनुसार एवं मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्दर अपने पद का कार्यभार, अवश्य ग्रहण कर लें। यदि बिना समुचित कारणों के वह मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा में अपना कार्यभार ग्रहण नहीं करते है तो उनका अभ्यर्थन स्वतः समाप्त हो जायेगा तथा ऐसी स्थिति में इस सेवा में नियुक्ति के लिए उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि वह इस सेवा में कार्यभार ग्रहण करने का इच्छुक नहीं है तो उसकी लिखित सूचना महानिबंधक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद तथा प्रमुख सचिव,नियुक्ति अनुभाग–4 को तत्काल भेजें। उन्हें यह भी सूचित किया जाता है कि सिविल जज (जू.डि.) के पद पर उनकी नियुक्ति अस्थायी रूप से इस प्रतिबन्ध के साथ की जा रही है कि उन्हें निदेशक न्यायिक प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, उ0 प्र0 लखनऊ के निर्देश प्राप्त होने पर उन्हें विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

अभ्यर्थी को जब तक सिविल जज (जू.डि.) के पद पर स्थायी रूप से नियुक्ति नहीं हो जाती है वह तब तक स्थायी कर्मचारियों पर लागू शासकीय अधिसूचना संख्या–20/1/74 नियुक्ति–3 दिनांक 11.6.75 में दी गई शर्तों के अधीन रहेंगे। अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

7–महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

विशेषवाहक द्वारा 8–महानिबंधक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को इस विज्ञप्ति की 04 प्रतियाँ, सम्बन्धित अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु भरे गये आवेदन प्रपत्रों एवं उनके संलग्नकों सहित मूलरूप में तथा उपरोक्त 04 अभ्यर्थियों के विषय में चिकित्सा परिषद की स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट मूलरूप में इस मंतव्य के साथ प्रेषित कि अभ्यर्थी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा में बिना समुचित कारणों के अपना योगदान सेवा में प्रस्तुत नहीं करता है तो उसकी स्थिति से

—3...

शासन को अबिलम्ब अवगत कराने का कष्ट करें। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थियों की तैनाती के सम्बन्ध में निर्गत होने वाले मा0 न्यायालय के आदेश की प्रति तथा अभ्यर्थियों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि/समय सहित सूचना शासन को कृपया तत्काल प्रेषित की जाये।

9-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 सुशील कुमार)

अनु सचिव।

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

NOTIFICATION

DATED: ALLAHABAD: March 11, 2010

No. 144 /AR(S)/2010

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 4541/II-4-09-32(1)/2008 dated 09.02.2010 Sri **Virat Shiromani**, candidate Civil Judge, Junior Division to be Additional Civil Judge, Junior Division, Lucknow.

No. 145 /AR(S)/2010

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 4541/II-4-09-32(1)/2008 dated 09.02.2010 Sri **Yashwant Kumar Saroj**, candidate Civil Judge, Junior Division to be Additional Civil Judge, Junior Division, Lucknow.

No. 146 /AR(S)/2010

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 4541/II-4-09-32(1)/2008 dated 09.02.2010 Sri **Yogendra Pratap Singh**, candidate Civil Judge, Junior Division to be Additional Civil Judge, Junior Division, Varanasi.

No. 147 /AR(S)/2010

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 4541/II-4-09-32(1)/2008 dated 09.02.2010 Sri **Vijay Kumar**, candidate Civil Judge, Junior Division to be Additional Civil Judge, Junior Division, Bhadohi at Gyanpur.

BY ORDER OF THE COURT,

Sd/-
(DINESH GUPTA)
REGISTRAR GENERAL

No. 141 /AR(S)/2010 Dated: Allahabad : March 11, 2010

Copy forwarded for information & necessary action to:

1. The Executive Chairman, U.P. State Legal Services Authority, Third Floor, Jawahar Bhawan Annexe, Lucknow-226001.
2. Pramukh Sachiv, Niyukti, U.P. Shasan, Lucknow.
3. Pramukh Sachiv, Nyay Evam Vidhiparamarshi, Uttar Pradesh Shasan, Lucknow.
4. The Director, Institute of Judicial Training & Research, Vineet Khand, Gomti Nagar, U.P. Lucknow requesting him to impart Induction Training to aforesaid newly appointed Civil Judge, Junior Division in their wisdom . (Information available on E-mail).
5. The Additional Director, Treasury, Camp Office, First Floor, New Treasury Building, Kutchery Road, Allahabad.
6. The District & Sessions Judges, Bhadohi at Gyanpur, Lucknow & Varanasi

along with photocopy of U.P. Government Appointment/Notification **No. 4541/II-4-09-32(1)/2008 dated 09.02.2010**(Information available on E-mail).

District & Sessions Judges, are directed that to permit the newly appointed candidates Civil Judge, Junior Division, to take over charge on the post.

Copy of the charge certificates of the candidate Civil Judge Junior Division be sent to the Assistant Registrar (Services), High Court, Allahabad.

The District & Sessions Judges are directed to make arrangement for field training in the judgeship for newly recruited/ appointed candidates of Civil Judge, Junior Division as per instruction contained in letter No. 416/A.R.(S)/3-A/2009 dated 03.09.2009.

It is to add that local arrangement shall be made by you in pursuance of Court's Circular Letter No.27/D.R.(S)/2000 dated 21.6.2000.

7. (i) Sri **Virat Shiromani** S/o Sri Sanjeev Shiromani, H.N.-C-167 Sector-C, Mahanagar, Lucknow-226006(U.P.)

(ii) Sri **Yashwant Kumar Saroj,** S/o Sri Jung Bahadur Saroj, Village-Machkahi, Post-Damarua District-Jaunpur(U.P.)

(iii) Sri **Yogendra Pratap Singh,**S/o Shi Raghav Prasad Singh, H.n.-305 Ward No.16 New Coloney Sahar Deoria Distrct Deoria.

(iv) Sri **Vijay Kumar**, S/o Sri Kedar Nath,Village Bal Khurd(Mahuabari), Post Chauri Chaura District Gorakhpur(U.P.)

Above-mentioned appointed candidate Civil Judge, Junior Division will proceed to take over charge of their place of posting immediately.

Newly appointed candidate Civil Judge, Junior Division should note that their appointment to the post of Civil Judge, Junior Division in U.P. Nyayik Sewa is purely temporary and until they are absorbed and appointed as permanent Civil Judge, Junior Division. They shall be subjected to general conditions of services applicable to temporary Government servant contained in Government Notification No. 20/I/74-Niyukti-3, dated June 11, 1975 and also under the condition laid down in U.P. Government Notification/Appointment **No. 4541/II-4-09-32(1)/2008 dated 09.02.2010**.

8. The Publication Secretary, U.P. Judicial Services Association Office, A-1, River Bank Judges Colony, Lucknow.
9. The Registrar (Confidential), High Court, Allahabad.
10. The Officer on Special Duty (Litigation), High Court, Allahabad
11. The Officer on Special Duty (Computer)/ In charge Computer Centre, High Court, Allahabad.
12. The Deputy Registrar (Budget), High Court, Allahabad.
13. The Section Officer (Admin.A-3) Section, High Court, Allahabad
14. The Section Officer (Admin. H) Section, High Court, Allahabad

15. The Director, Printing & Stationary, U.P. Allahabad for publication of the notification in the next issue of the Gazette.
16. P.S. to Hon'ble Judges, High Court of Judicature at Allahabad & Lucknow Bench, Lucknow. (Information available on E-mail).

BY ORDER OF THE COURT.

Sd/-
(VIRENDRA KUMAR SRIVASTAVA)
ASSISTANT REGISTRAR (SERVICES)

संख्या 109/ /तीनए–425(अधि0–2004)/08 दिनांक 10-7-2008

लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (विशेष चयन) परीक्षा–2004 के आधार पर उत्तर प्रदेश शासन के धार्मिक अनुभाग–4 के पत्र संख्या–15/21/2007–का–4–2008 दिनांक 07.05.2008 द्वारा आवंटित अभ्यर्थियों की सूची के साथ आवेदन पत्र प्राप्त होने पर नियमानुसार स्वास्थ्य परीक्षण एवं चरित्र सत्यापन कराने के उपरान्त श्री यशवन्त कुमार सरोज पुत्र श्री जंग बहादुर सरोज निवासी ग्राम मचकाही, पोस्ट–डमरूआ जिला जौनपुर को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उप रजिस्ट्रार के पद वेतनमान् रु0 6500–200–10500 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्त किया जाता है।

1– श्री यशवन्त कुमार सरोज, पदभार ग्रहण करने की तिथि से उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम 19 के अधीन दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे तथा इसी अवधि में उन्हें विहित समस्त विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। यदि वे परिवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाते अथवा इनके कार्य एवं आचरण से ऐसा प्रतीत होता है कि वह उप रजिस्ट्रार के पद पर स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं हैं तो इनकी सेवा बिना किसी प्रतिकर के उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली 1983 के नियम 19 (3) के अनुसार परिवीक्षा अवधि के मध्य अथवा अन्त में समाप्त कर दी जायेंगी। इन्हें वेतन इत्यादि उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली के नियम 22 एवं 23 के अधीन अनुमन्य होगा।

2– नियुक्ति आदेश की प्राप्ति होने पर पदभार ग्रहण करते समय निम्नांकित प्रमाण पत्र/सूचनाएँ प्रस्तुत की जायेगीं:–

(1) आयु, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता/आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ।

(2) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत की गयी सेवा के सम्बन्ध में घोषणा पत्र।

(3) इण्डियन आफीसियल सीकेट्स एक्ट,1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने के सम्बन्ध में घोषणा।

(4) अपने कर्जदार न होने की घोषणा।

(5) एक से अधिक पत्नी न होने की घोषणा।

(6) समस्त चल व अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित घोषणा।

(7) दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र, जो अधिकतम छः माह पूर्व जारी किया गया हो।

(8) भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा के सम्बन्ध में शपथ पत्र/घोषणा।

उप रजिस्ट्रार के पद पर इनका स्थायीकरण उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली–1983

3– के नियम–20 के अन्तर्गत स्थायी पद उपलब्ध होने पर नियमानुसार किया जायेगा।

4– इनकी सेवाएँ उ0प्र0 उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली –1983 (समय–समय पर यथासंशोधित) के प्राविधानों से शासित होगी तथा ऐसी अन्य समस्त सेवा शर्तें भी उन पर लागू होगी, जो समय–समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायेगीं।

5– विहित प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद स्वतन्त्र रुप से उप रजिस्ट्रार के पद पर तैनाती होने पर रु0 750–00 (रु0 सात सौ पचास मात्र) का बचत पत्र महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पक्ष में जमानत के रुप में तैनाती स्थल के जनपद में जमा करनी होगी।

6– यह नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित स्पेशल लीव टू अपील (सिविल) संख्या–14299–14301/2007 लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश तथा अन्य बनाम [illegible] पाल तथा अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

7– नवनियुक्त उप रजिस्ट्रार को निर्देशित किया जाता है कि वह नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात विलम्बतम एक माह के अन्दर सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, [illegible] के कार्यालय में पदभार ग्रहण करने हेतु अपनी योगदान रिपोर्ट उपरलिखित प्रस्तर–2 में उल्लिखित अभिलेखों/घोषणा पत्रों के साथ प्रस्तुत करेंगे। निर्धारित [illegible]

Photo copy attested

नहीं होगा।

9— नवनियुक्त उप रजिस्ट्रार पदभार ग्रहण करने की तिथि से उ0प्र0 उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली—1983 के नियम—18(6) के अन्तर्गत 06 सप्ताह का प्रशिक्षण नियमानुसार उप निबन्धक कार्यालय, रायबरेली सदर से सम्बद्ध रह कर प्राप्त करेगें तथा इसी अवधि में शासनादेश संख्या 253/नौ—आर/20—1927 दिनांक 29.08.1927 के अन्तर्गत निशान अंगूठा लिए जाने का प्रशिक्षण भी जिला पुलिस कार्यालय से प्राप्त करेगें।

(हिमांशु कुमार)
महानिरीक्षक निबन्धन,
उत्तर प्रदेश,इलाहाबाद।

कार्यालय महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

संख्या।०91(1-18)सीनए—425(अधि0—2004)/08 दिनांक 10-7-2008

प्रतिलिपि :—

1— श्री यशवन्त कुमार सरोज पुत्र श्री जंग बहादुर सरोज, म0न0—97/103, स्वराजनगर, तेलियरगंज इलाहाबाद को अनुपालनार्थ।

2— सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, रायबरेली को इस निर्देश सहित प्रेषित कि योगदान आख्या प्रस्तुत करने पर सम्बन्धित नव नियुक्त उप रजिस्ट्रार को कार्यभार ग्रहण कराकर समस्त अभिलेख मुख्यालय को प्रेषित करते हुए उन्हें विधिवत वांछित समस्त प्रशिक्षण दिलाये जाने की कार्यवाही करायें। प्रशिक्षण अवधि पूर्ण होने पर प्रशिक्षु उप निबन्धक की स्वतन्त्र रुप से तैनाती किए जाने हेतु अपनी स्पष्ट आख्या/संस्तुति मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3— कोषाधिकारी, रायबरेली।

4— अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0) पदेन जिला निबन्धक, रायबरेली ।

5— पुलिस अधीक्षक, रायबरेली को इस अनुरोध सहित प्रेषित कि प्रशिक्षु उप रजिस्ट्रार को उपरिलिखित शासनादेश दिनॉक 29.08.1927 के अनुसार निशान अंगूठा लेने का प्रशिक्षण दिलाने का कष्ट करें।

6— निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, इलाहाबाद को आगामी गजट में प्रकाशनार्थ।

7— सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

8— विशेष सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग—5 उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

9— सचिव, कार्मिक अनुभाग—4, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को उनके पत्र दिनॉक 07.05.08 के संदर्भ में सूचनार्थ।

10— महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(सन्दीप कुमार रानी)
अपर महानिरीक्षक निबन्धन(प्रशा0)
उत्तर प्रदेश,इलाहाबाद।

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन
रायबरेली

::आदेश::

संख्या /तीनए–425/08 दिनांक 2008

लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा उप निबन्धक पद हेतु चयनित श्री यशवन्त कुमार सरोज को कार्यालय आदेश संख्या–1091/तीनए–425 (अधि0–2004)/08 दिनांक 10.07.2008 द्वारा उप निबन्धक पद पर नियुक्त करते हुए उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली 1983 के प्राविधानों के अनुरुप विहित प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु उप निबन्धक, रायबरेली सदर जिला रायबरेली से सम्बद्ध किया गया है। सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, रायबरेली के पत्र संख्या–221/मु0नि0लि0/08 दिनांक 27.08.2008 द्वारा प्राप्त आख्यानुसार श्री सरोज द्वारा समुचित प्रशिक्षण प्राप्त कर लिए जाने के फलस्वरुप उन्हें एतद्द्वारा उप निबन्धक, शाहाबाद जिला हरदोई के रिक्त पद पर बतौर नियमित उप निबन्धक तैनात किया जाता है।

श्री सरोज को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने तैनाती स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर लें।

(हिमांशु कुमार)
महानिरीक्षक निबन्धन,
उत्तर प्रदेश,इलाहाबाद।

कार्यालय महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

संख्या १९५० (1-6)/तीनए–425/08 दिनांक ५–९– 2008

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, रायबरेली को इस निर्देश के साथ कि वे श्री यशवन्त कुमार सरोज, प्रशिक्षणाधीन उप निबन्धक को नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु तत्काल कार्यमुक्त कर मुख्यालय को अवगत करायें।

2– उप महानिरीक्षक निबन्धन, लखनऊ।

3– सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, हरदोई को इस आशय से प्रेषित कि श्री सरोज को उप निबन्धक, शाहाबाद जिला हरदोई का कार्यभार ग्रहण कराकर प्रभार प्रमाण पत्र मुख्यालय भेजना सुनिश्चित करें।

4– अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0) पदेन जिला निबन्धक, रायबरेली/हरदोई।

5– वरिष्ठ कोषाधिकारी, रायबरेली/हरदोई।

6– श्री यशवन्त कुमार सरोज, परिवीक्षाधीन उप निबन्धक, सम्बद्ध कार्यालय उप निबन्धक, रायबरेली सदर को अनुपालनार्थ।

(सन्दीप कुमार शर्मा)
अपर महानिरीक्षक निबन्धन(प्रशा.)
उत्तर प्रदेश,इलाहाबाद।

संख्या /तीन ए–425(मु0)

आदेश

दिनांक

लोक सेवा आयोग, उ0 प्र0 द्वारा सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा(विशेष चयन) परीक्षा वर्ष 2004 के परिणाम के आधार पर श्री यशवन्त कुमार सरोज पुत्र श्री जंग बहादुर सरोज, जो वर्तमान में उप निबन्धक शाहाबाद, जिला हरदोई के पद पर कार्यरत हैं, को शासकीय विज्ञप्ति/नियुक्ति संख्या–4591/दो–4–09–32(1)/2008 दि0 09 फरवरी, 2010 द्वारा सिविल जज(जूनियर डिवीजन) के पद पर नियुक्त किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में श्री यशवन्त कुमार सरोज, परिवीक्षाधीन उप निबन्धक ने अपने प्रार्थना पत्र दि0 18.03.2010 द्वारा सिविल जज(जू0डि0) के पद पर नियुक्ति सम्बन्धी विज्ञप्ति की छायाप्रति संलग्न करते हुए वर्तमान सेवा(उप निबन्धक पद की) से कार्यमुक्त किये जाने की प्रार्थना की है। श्री यशवन्त कुमार सरोज के उक्त प्रार्थना पत्र एवं सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, हरदोई द्वारा श्री यशवन्त कुमार सरोज के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही लम्बित न होने तथा कोई अदेयता न होने सम्बन्धी निर्गत प्रमाणक दि0 12.4.2010 पर सम्यक् विचारोपरान्त उन्हें निबन्धन विभाग के उप निबन्धक पद से, कार्यभार छोड़ने की तिथि से, कार्यमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(वीरेन्द्र कुमार)
प्रभारी अपर महानिरीक्षक निबन्धन(प्र0),
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

कार्यालय महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

संख्या।1742(1-9)/तीन ए–425(मु0) दिनांक 13-4-10

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, हरदोई को श्री यशवन्त कुमार सरोज, उप निबन्धक शाहाबाद, जिला हरदोई के प्रार्थना पत्र दि0 18.03.2010 के सन्दर्भ में इस आशय से प्रेषित कि श्री यशवन्त कुमार सरोज को कार्यभार से नियमानुसार अवमुक्त कर कृत कार्यवाही से मुख्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
2. श्री यशवन्त कुमार सरोज, परिवीक्षाधीन उप निबन्धक शाहाबाद, जिला हरदोई को उनके प्रार्थना पत्र दि0 18.03.2010 के सन्दर्भ में।
3. अपर जिलाधिकारी(वि0रा0)/जिला निबन्धक, हरदोई।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरदोई।
5. निबन्धक माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
6. सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0 प्र0, इलाहाबाद।
7. विशेष सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग–5, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
8. विशेष सचिव, कार्मिक अनुभाग–4, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
9. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0 प्र0 इलाहाबाद को शासकीय गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।

(वीरेन्द्र कुमार)
प्रभारी अपर महानिरीक्षक निबन्धन(प्र0),
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

Sen
A.D.M (F&R)
HARDOI

आदेश

महानिरीक्षक निबन्धन उ0प्र0, इलाहाबाद के पत्र संख्या 1742 (1–9) तीन ए–425 (मु0) दिनांक 13.04.2010 द्वारा श्री यशवन्त कुमार सरोज, परिवीक्षाधीन उप निबन्धक, को उनके प्रार्थना पत्र दिनांक 18.03.2010 के कम में सिविल जज (जू0डि0), लखनऊ के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु वर्तमान सेवा से कार्यमुक्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उक्त के अनुपालन में श्री यशवन्त कुमार सरोज, उप निबन्धक, शाहाबाद, को निर्देशित किया जाता है कि वह कार्यालय उप निबन्धक शाहाबाद में कार्यरत वरिष्ठ निबन्धन लिपिक, श्री रवीन्द्र कुमार, को अपना कार्यभार सौप कर नवीन पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त हो जाये।

(सुनिल मिश्र)
सहायक महानिरीक्षक निबन्धन
हरदोई।

कार्यालय सहायक महानिरीक्षक निबन्धन हरदोई।

पत्रांक : 82(1-7)/सी0आर0सी0 हरदोई/2010 दिनॉक : 16-4-2010

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिरीक्षक निबन्धन, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. उप महानिरीक्षक निबन्धन, सीतापुर परिक्षेत्र सीतापुर।
3. जिला निबन्धक, हरदोई।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरदोई।
5. ✓ श्री यशवन्त कुमार सरोज, उप निबन्धक, शाहाबाद को अनुपालनार्थ।
6. श्री रवीन्द्र कुमार, नि0लि0 कार्यालय उप निबन्धक शाहाबाद को अनुपालनार्थ।
7. मुख्य निबन्धन लिपिक, हरदोई को आवश्यक कार्यवाही एवं व्यक्तिगत पत्रावली में रखने हेतु।

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन
हरदोई।

प्रभार प्रमाण पत्र

महानिरीक्षक निबन्धन उ0प्र0, इलाहाबाद के पत्र संख्या 1742 (1–9) तीन ए–425 (मु0) दिनांक 13.04.2010 के कम में सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, हरदोई के आदेश सं0 82(1–7)/सी0आर0सी0 हरदोई/10 दिनांक 16.04.2010 के अनुपालन आज दिनांक 16.04.2010 को अपराह्न में कार्य दिवस की समाप्ति पर उप निबन्धक शाहाबाद, जनपद हरदोई के पद का कार्यभार हस्तान्तरित किया गया।

16.04.10

(यशवन्त कुमार सरोज)
मुक्त अधिकारी

16.4.10

(रवीन्द्र कुमार)
मोचक कार्मिक

कार्यालय उप निबन्धक, शाहाबाद, जिला हरदोई।

पत्रांक : 194 /उ0नि0, शाहाबाद, हरदोई/2010 दिनॉक : 16.4.010

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उप महानिरीक्षक निबन्धन सीतापुर परिक्षेत्र, सीतापुर।
2. जिला निबन्धक, हरदोई।
3. सहायक महानिरीक्षक निबन्धन हरदोई को चार प्रतियों में।

16.4.10

(रवीन्द्र कुमार)
प्र0 उप निबन्धक,
शाहाबाद हरदोई।

Seen

A.D.M (F&R)
HARDOI

सम्मिलित राज्य/ प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, विशेष चयन-2004

1-विज्ञापन संख्या- ए-2/ई-1/2004
2-विज्ञापन की तिथि- 15 मई, 2004
3-आवेदनपत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि- 11 जून, 2004
4-मुख्य परीक्षा हेतु प्राप्त आवेदनपत्रों की संख्या- 3089
5-साक्षात्कार हेतु सफल घोषित अभ्यर्थियों की संख्या- 608
6-मुख्य परीक्षा की तिथि:- 19-05-06 से 03-06-06
7-साक्षात्कार की तिथि:-अप्रैल, 20, 21, 25, 26 व 30, मई 1, 9, 10, 15, 16 व 17, 2007
8-कुल रिक्तियों की संख्या आरक्षण एवं वेतनमान:-

क्रमांक पद का नाम विभाग तथा वेतनमान	अनिवार्य एवं अधिमानी अर्हताएं (सेवा नियमावली के अनुसार)	कुल पद	उत्पन्न के अनु. जाति	उत्पन्न के अनु. जन जाति	उत्पन्न के अन्य पिछड़ा वर्ग	उत्पन्न के स्वतंत्रता संग्राम	उत्पन्न के समाज के विकलांग	उत्पन्न के भूतपूर्व सैनिक	उत्पन्न के महिला
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1-डिप्टी कलेक्टर (नियुक्ति अनुभाग-3) 8000-13500	स्नातक अधिमानी-1-प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की सेवा या 2-राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाणपत्र प्राप्त।	19	-	03	16	-	-	-	03
2-सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (परिवहन अनु.-3) 8000-13500	- तदैव-	06	04	01	01	-	-	-	01
3-खण्ड विकास अधिकारी (ग्राम्य विकास अनु.-1) 8000-13500	- तदैव-	08	-	08	-	-	-	-	01
4-अपर जिला विकास अधिकारी (समाज कल्याण विभाग) 8000-13500	स्नातक	05	-	-	05	-	-	-	01
5-सहायक आयुक्त व्यापार कर (व्यापार कर विभाग) 8000-13500	स्नातक:देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का कार्यकारी ज्ञान। अधिमानी:-1-प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की सेवा या 2-राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त।	26	05	04	17	-	-	-	05
6-कार्य अधिकारी (पंचायतीराज अनु.-2) 8000-13500	---स्नातक -----	04	04	-	-	-	-	-	-
7-प्रबन्धक (विपणन एवं आर्थिक सर्वेक्षण) (लघु उद्योग अनु.-1) 8000-13500	स्नातक अधिमानी:-1-व्यावसायिक प्रशासन में स्नातकोत्तर उपाधि या 2-प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की सेवा या 3-राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाणपत्र प्राप्त।	05	01	-	04	-	-	-	01
8-सहायक श्रमायुक्त (श्रम अनुभाग-4) 8000-13500	वाणिज्य/विधि या एक विषय के रूप में अर्थशास्त्र या समाजशास्त्र के साथ कला स्नातक अधिमानी-1-प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की सेवा या 2-राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त	01	01	-	-	-	-	-	-
9-अधीक्षक कारागार (कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग) 8000-13500	1-स्नातक तथा देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का कार्यकारी ज्ञान 2-शारीरिक मापदण्ड भी निर्धारित है। अधिमानी:-अपराध विज्ञान, मनोविज्ञान या समाजशास्त्र की उपाधि धारित हो। अन्य अधिमानी:-1-प्रा.सेना में न्यूनतम दो वर्ष की सेवा या 2-राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाणपत्र धारित	01	01	-	-	-	-	-	-
10-जिला विकास अधिकारी/ग्राम्य विकास विभाग (ग्राम्य विकास अनु.-2) 8000-13500	स्नातक अधिमानी:-1-प्रा.सेना में न्यूनतम दो वर्ष की सेवा या 2-राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाणपत्र प्राप्त	14	08	[illegible]	04	-	-	-	02

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
सहायक निबंधक (सहकारी समितियां) (सहकारिता विभाग) 8000-13500	कला, विज्ञान, वाणिज्य अथवा कृषि में स्नातक तथा देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का पूर्ण ज्ञान। अधिमानी:-1-प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की सेवा या 2-राष्ट्रीय कैडेटकोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त।	04	01	01	02	-	-	-	-
12-जिला समादेष्टा होमगार्ड्स (गृह) (नागरिक सुरक्षा) (विभाग) 8000-13500	1-स्नातक 2-शारीरिक मानदण्ड भी निर्धारित है। अधिमानी:-1-प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की सेवा या 2-राष्ट्रीय कैडेटकोर का "बी" प्रमाणपत्र।	01	01	-	-	-	-	-	-
13-जल विज्ञानी (जियोलाजी) (भू-गर्भ जल विभाग) 8000-13500	भू-गर्भ शास्त्र या अप्लाइड भू-गर्भविज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष। अधिमानी:-1-भू-जल या भूगर्भ जल में स्नातकोत्तर डिप्लोमा 2-भू-गर्भ जल अन्वेषण और सर्वेक्षण में दो वर्ष का अनुभव या 3-प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की सेवा या 4-राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाणपत्र प्राप्त।	01	01	-	-	-	-	-	-
14-सहायक भू-भौतिकविद (भू-गर्भ जल विभाग) 8000-13500	भू-भौतिकी में स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष। अधिमानी:-1-भू-जल या भू-गर्भ जल में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या 2-भूगर्भ जल अन्वेषण और सर्वेक्षण में दो वर्ष का अनुभव या 3-प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की सेवा या 4-राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त।	04	02	-	02	-	-	-	-
15-जिला पंचायत राज अधि० (पंचायती राज विभाग) 6500-10500	स्नातक- अधिमानी:-1-प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की सेवा या 2-राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र	07	03	-	04	-	-	-	01
16-जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी (पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग) 6500-10500	स्नातक- अधिमानी:-1-प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की सेवा या 2-राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त।	02	-	-	02	-	-	-	-
17-जिला बचत अधिकारी (राष्ट्रीय बचत निदेशालय) 6500-10500	---तदैव---	02	02	-	-	-	-	-	-
18-जिला समाज कल्याण अधि० (समाज कल्याण विभाग) 6500-10500	----------स्नातक------	05	01	-	04	-	-	-	01
19-जिला पूर्ति अधि० (श्रेणी-2) (खाद्य तथा रसद विभाग) 6500-10500	स्नातक तथा देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का कार्यकारी ज्ञान। अधिमानी:-1-प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की सेवा या 2-राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र	01	-	-	01	-	-	-	-
20-उप निबन्धक (सहायक महानिरीक्षक - निबंधक, कर एवं निबन्धन विभाग) 6500-10500	विधि स्नातक के साथ देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान। अधिमानी:-1-प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की सेवा या 2-राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त।	32	11	03	18	-	-	-	06
21-व्यापार कर अधिकारी श्रेणी-2 (व्यापार कर विभाग) 5500-9000	स्नातक और देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का कार्यकारी ज्ञान अधिमानी:-1-प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की सेवा या 2-राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त	59	18	06	35	01	02	-	12
22-क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी (खाद्य तथा रसद विभाग) 5500-9000	------तदैव -----	01	-	-	01	-	-	-	-
	कुल योग=	208	64	28	116	01	02	-	34

-----------3

नोट:- आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने के लिये निर्धारित अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित अनिवार्य/अधिमानी अर्हता अवश्य धारित करना चाहिए ।

आयु सीमा:- (1) अभ्यर्थियों को 01 जुलाई, 2004 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए और उन्हें 35 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए, अर्थात उनका जन्म 02 जुलाई, 1969 से पूर्व तथा 01 जुलाई, 1983 के बाद का नहीं होना चाहिए।

(2) आयु सीमा में छूट:

(क) उ०प्र० के अनु०जाति/उ०प्र० के अनु०ज० जाति /उ०प्र० के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों तथा उ०प्र० के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। (यह छूट केवल उ०प्र० के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य होगी।)

(ख) (1) समाज के विकलांग अभ्यर्थियों के लिये समूह"ख" के पदों तथा अधीनस्थ राजपत्रित पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष अधिक होगी।

(2) समाज के विकलांग अभ्यर्थियों के लिए समूह"ग" (अराजपत्रित) के पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट अनुमन्य है ।

(ग) (1) आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकमीशन प्राप्त अधिकारियों/भूतपूर्व सैनिकों के लिये, जिन्होंने सेना में कम से कम 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, अधिकतम आयु सीमा में समूह"ख" तथा अधीनस्थ राजपत्रित पदों के लिए 5 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। शासनादेश संख्या-17/2/1981-कार्मिक-2, दिनांक 28-02-85 के प्राविधानों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट ऐसे सैनिकों/सैन्य अधिकारियों को भी अनुमन्य होगी, जो आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने की अन्तिम तिथि से अगले 6 माह के भीतर अवकाश ग्रहण करने वाले हों

(2) समूह "ग" के अराजपत्रित पदों के लिए सेना से वियुक्त विकलांग अधिकारियों/आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों/भूतपूर्व सैनिकों के लिये सेना में की गई सेवा की सम्पूर्ण अवधि के अतिरिक्त आयु सीमा तीन वर्ष और अधिक होगी ।

(घ) शासनादेश संख्या-22/21/1983-कार्मिक-2, दिनांक 28-11-1985 के अनुसार राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों के लिये अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष अधिक होगी ।

शुल्क:- (1) प्रारंभिक परीक्षा हेतु शुल्क: प्रत्येक अभ्यर्थी से आवेदन पत्र के साथ मूल्य के साथ लिया जायेगा जिस पर सम्पूर्ण विवरण अंकित है । अभ्यर्थी को अलग से कोई बैंक ड्राफ्ट/ट्रेजरी चालान जमा नहीं करना है ।

(2) मुख्य परीक्षा हेतु शुल्क : मुख्य परीक्षा हेतु सफल सामान्य अभ्यर्थियों तथा उ०प्र० के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये शुल्क रू0 220/- तथा उ०प्र० के अनुसूचित जाति/उ०प्र० के अनुसूचित जनजाति तथा समाज के विकलांग अभ्यर्थियों के लिए शुल्क रू0 100/- निर्धारित है । सेना के अवमुक्त अधिकारी/सैन्य वियोजित कर्मचारी/भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी : विभिन्न श्रेणियों के यथा-सामान्य श्रेणी उ०प्र० के अन्य पिछड़े वर्ग उ०प्र० की अनुसूचित जाति, उ०प्र० की अनुसूचित जनजाति तथा समाज के विकलांग श्रेणी में से जिस श्रेणी से भी संबंधित होंगे, उन्हें उसी वर्ग / श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। यह शुल्क उन्हें मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ जमा करना होगा ।

------xxxxx------

संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024

प्रेषक,

दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 28 जून, 2024

विषय- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित राज्य सरकार के ऐसे सरकारी सेवक जिनका चयन ऐसे पद/रिक्तियों के सापेक्ष हुआ हो, जिसका विज्ञापन प्रदेश में नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) लागू किये जाने संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28 मार्च, 2005 के पूर्व हो चुका था, को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने के संबंध में विकल्प की व्यवस्था।

महोदय,

वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-301(9)-2003 दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार की सेवा में और ऐसे समस्त शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, जिनमें राज्य कर्मचारियों की वर्तमान पेंशन योजना की भांति पेंशन योजना लागू है और उनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है, में दिनांक 1 अप्रैल, 2005 अथवा उसके पश्चात नवनियुक्त कर्मचारी नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) से आच्छादित होंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Scanned with CamScanner

2- ऐसे कर्मचारी जिनकी भर्ती/नियुक्ति के लिए विज्ञापन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की अधिसूचना की तारीख अर्थात दिनांक 28.03.2005 के पूर्व किया गया था और उक्त विज्ञापन के सापेक्ष नियुक्ति के उपरान्त दिनांक 01.04.2005 को अथवा उसके पश्चात सेवा में कार्यभार ग्रहण करने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत कवर किया गया है, उनके द्वारा पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने हेतु अभ्यावेदन निरन्तर शासन को प्राप्त होते रहे हैं।

3- केन्द्र सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या-57/05/2021-P&PW(B) दिनांक 03.03.2023 द्वारा यह आदेश निर्गत किये जा चुके हैं कि केन्द्र सरकार का ऐसा कोई कर्मचारी जिसकी नियुक्ति दिनांक 01.01.2004 को अथवा उसके उपरान्त, ऐसी किसी रिक्ति के सापेक्ष हुई है जिसका विज्ञापन केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू किये जाने संबंधी अधिसूचना दिनांक 22.12.2003 के पूर्व हो चुका था, को पुरानी पेंशन योजना को चुनने का एक बार विकल्प दिया जायेगा।

4- इस संबंध में न्यायालयों के निर्णयों, केन्द्र सरकार के उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 03.03.2023 और विभिन्न अभ्यावेदनों/संदर्भों के आलोक में राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार के कार्मिकों एवं परिषदीय विद्यालयों/शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं/राज्य सरकार द्वारा अनुदानित स्वायत्तशासी संस्थाओं, जिनमें राज्य कर्मचारियों की पेंशन योजना की भांति पेंशन योजना लागू रही है और जिनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है, के ऐसे सभी कार्मिकों को उस पद या रिक्ति के सापेक्ष नियुक्त किया गया है, जिसे भर्ती/नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की अधिसूचना की तारीख अर्थात दिनांक 28.03.2005 के पूर्व विज्ञापित/अधिसूचित किया गया था और दिनांक 01.04.2005 को अथवा उसके पश्चात सेवा में कार्यभार ग्रहण करने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत कवर किया गया है, "उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स रूल्स, 1961" के अधीन कवर किए जाने के लिए एक बार विकल्प दिया जाए।

3/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Scanned with CamScanner

5- उक्त निर्णय के अनुपालन के संबंध में निम्नलिखित निर्देश निर्गत किये जाते हैं:-

(1). विकल्प प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31.10.2024 होगी। प्रस्तुत किया गया विकल्प अंतिम तथा अपरिवर्तनीय होगा।

(2). उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स रूल्स, 1961 के अधीन कवर करने के मामले को, उस पद, जिसके लिए विकल्प का प्रयोग किया गया है, के प्रशासकीय विभाग के समक्ष विचारार्थ रखा जाएगा। यदि कर्मचारी, उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स रूल्स, 1961 के अधीन कवर किए जाने के लिए शर्तों को पूरा करता है, तो इस संबंध में प्रशासकीय विभाग के अनुमोदन के उपरान्त आवश्यक आदेश नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा दिनांक 31.03.2025 तक निर्गत कर दिये जायेंगे तथा आदेश निर्गत होने के अगले माह के वेतन से अभिदाता अंशदान तथा नियोक्ता अंशदान की कटौती बंद कर दी जायेगी।

(3). जिन कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन योजना का वरण किया जाता है, उनके राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली खाते दिनांक 30.06.2025 से बन्द कर दिये जायेंगे।

(4). राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत खातों में जमा कर्मचारियों का अंशदान व्यक्ति के सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) खाते में जमा किया जायेगा।

(5). राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत खातों में जमा सरकारी अंशदान राजकोष में जमा किया जायेगा।

(6). ऐसे सभी कर्मचारी जो विकल्प का प्रयोग करने के लिए पात्र हैं, परन्तु निर्धारित तिथि तक इस विकल्प का प्रयोग नहीं करते हैं, वे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली द्वारा कवर किए जाते रहेंगे।

6- पेंशन निधि में जमा धनराशियों के अंतरण से संबंधित लेखांकन की प्रक्रिया के संबंध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

भवदीय,

दीपक कुमार
अपर मुख्य सचिव।

4/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

Scanned with CamScanner

संख्या-सा-3-243(1)/दस-2024/301(1)/2024 एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1). महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(2). निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(3). निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(4). समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

नील रतन कुमार

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

Scanned with CamScanner

संख्या-20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 11 जुलाई, 2024

विषय- शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 के क्रम में विकल्प दिये जाने हेतु प्रारूप ।

महोदय,

शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित राज्य सरकार के ऐसे कार्मिकों, जिनका चयन ऐसे पद/रिक्तियों के सापेक्ष हुआ हो, जिसका विज्ञापन प्रदेश में नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) लागू किये जाने संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28 मार्च, 2005 के पूर्व हो चुका था, को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

2- संदर्भित शासनादेश दिनांक 28 जून, 2024 की व्यवस्था के क्रम में कार्मिकों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुने जाने का प्रारूप इस शासनादेश के साथ संलग्न है।

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- उक्त निर्धारित प्रारूप पर संबंधित कार्मिक अपना विकल्प सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

संख्या-20/2024/सा-3-276(1)/दस-2024/301(1)/2024 एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1). महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(2). निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(3). निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(4). समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

संजय
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या- 20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 11 जुलाई, 2024 का संलग्नक-

विकल्प पत्र

1. नाम
2. वर्तमान पदनाम
3. वेतनमान
4. वर्तमान विभाग का नाम
5. राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम
6. विज्ञप्ति की तिथि
7. विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि
8. योगदान की तिथि
9. जन्म तिथि
10. सेवानिवृत्ति की तिथि

मैं...पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.. शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना ( )/नवीन पेंशन योजना ( ) में सम्मिलित होने का विकल्प देता हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अन्तिम समझा जाय।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम................................

घोषणा पत्र

मैं...पदनाम...यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त क्रम संख्या-01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही हैं तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम.................................

सम्बन्धित कर्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा

श्री/श्रीमती...पदनाम...को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुरानी पेंशन योजना ( ) /नई पेंशन योजना ( ) में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है।

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

HIGH COURT AT ALLAHABAD

By FAX/E-mail/Registered Post

From,

Rajeev Bharti, H.J.S.,
Registrar General,
High Court of Judicature at
Allahabad.

To,

(1)All the District & Sessions Judges/ O.S.D.,
(2)All the Principal Judges of Family Courts,
(3)All the Presiding Officers, MACTs, LARRAs, Commercial Courts
(4)All the Judicial Officers posted on deputation,
State of Uttar Pradesh

No. 10219 /IV-F-82(Pension)/Admin.(A) Dated:July.29th ,2024.

Sub : Regarding exercise of one time option to switch from National Pension System/New Pension Scheme to Old Pension Scheme or to remain in New Pension Scheme in light of G.O. No. 14/2024/Sa-3-243/X-2024/301(1)/2024 dated 28.06.2024 read with G.O. No.20/2024/Sa-3-276/X-2024/301(1)/2024 dated 11.07.2024 of the Government of U.P.

Sir,

With reference to aforesaid subject and in continuation of earlier letter no. 9691/IV-F-82(Pension)/Admin(A) dated 16.07.2024, I am desired to say that the Officers of U.P.Nyayik Sewa/U.P.H.J.S who have rendered service in any other department prior to entering into U.P.Judicial Services and find themselves eligible to fill Option Form on the basis of their joining in previous service as per cut off date(s), in light of G.O. No. 14/2024/Sa-3-243/X-2024/301(1)/2024 dated 28.06.2024 read with G.O. No.20/2024/Sa-3-276/X-2024/301(1)/2024 dated 11.07.2024 of the Government of U.P. are requested to submit duly filled Option Form directly to the Head of Office/Head of Department of their previous department to opt O.P.S./N.P.S. in their previous service, through the District Judge/Head of Office at their present posting station and a copy of the same is to be forwarded to this Court for intimation purposes only.

I, am therefore, to request you to kindly circulate these instructions, to be followed by concerned Judicial Officers accordingly.

Regards,

Yours faithfully,

29/7/24
Registrar General